झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या...62........ वर्ष 20.23....

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती पुष्पा उराँव एवं अन्य
मुन्दो आजिविका महिला ग्राम संगठन
ग्रा०-मुन्दो, पो०-डरगाँव, प्र०+था० लोहरदगा
जिला-लोहरदगा

बनाम

DISPOSED
28.02.2024.

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
लोहरदगा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–62/2023

परिवादी श्रीमती पुष्पा उरांव एवं अन्य, मुन्दो आजिविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम–मुन्दो, पो0–इरगांव, प्र0+थाना–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादीगण द्वारा अपने परिवाद पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि PDS वितरक विणा महिला मण्डल, ग्राम–मुन्दो, अनु0 सं0–01/2012 के निलंबित अवधि में उनसे संबद्ध लाभुकों को एक अन्य जन वितरण प्रणाली दुकानदार श्री रबुल अंसारी, अनु0 सं0–01/90 के साथ संबद्ध किया गया है।

यह कि PDS डीलर श्री रबुल अंसारी द्वारा दिनांक–02.10.2023 को अपने PDS दुकान के सूचना पट्ट में निम्न सूचना प्रकाशित की गई है:–

1. निलंबित डीलर विना महिला मण्डल के कार्डधारियों का राशन माह अगस्त एवं सितम्बर, 2023 में कटौती किया गया है। क्योंकि माह सितम्बर से दिसम्बर, 2022 तक PMGKAY का चावल 652 कि0ग्रा0 एवं गेहूँ 341 कि0ग्रा0 और मार्च महिने का NFSA का चावल 312 कि0ग्रा0 एवं गेहूँ 90 कि0ग्रा0, इस तरह अगस्त माह का आवंटन में कुल चावल 964 कि0ग्रा0 एवं गेहूँ 331 कि0ग्रा0 काटा गया है, जिसमें 259 यूनिट कार्डधारियों का खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा।
2. माह सितम्बर, 2023 के आवंटन में माह अप्रैल, 2023 NFSA चावल 302 कि0ग्रा0 एवं गेहूँ 91 कि0ग्रा0 कम आवंटन जिसमें माह सतम्बर, 2023 में लगभग 7 यूनिट कार्डधारियों को खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा क्योंकि पूर्व में विणा महिला मण्डल, ग्राम–मुन्दो (वर्तमान में निलंबित) द्वारा चलाया जा रहा था और इसका शेष खाद्यान्न विणा महिला मण्डल मुन्दो के पास है। यह अवशेष खाद्यान्न वर्तमान राशन डीलर जन वितरण प्रणाली दुकान अनु0 सं0–01/90 श्री रबुल अंसारी, ग्राम–भट्टखिजरी (भौवाटोली) के पास उपलब्ध नहीं है।

परिवाद पत्र में यह भी उल्लेख है कि इसकी सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु वर्तमान में संबद्ध राशन डीलर श्री रबुल अंसारी, ग्राम–भट्टखिजरी, भौवाटोली के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा से दिनांक–08.09.2023 का आग्रह किया गया परन्तु कार्रवाई लंबित है। परिवादीगण द्वारा लाभुकों को शेष राशन उपलब्ध कराने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	प्राप्त अपील आवदेन पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–17.11.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–62 / 2023

17.11.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता श्रीमती पुष्पा उरांव, मुन्दो आजिविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम–मुन्दो, पंचायत–भठखिजरी–इरगांव, प्रखण्ड–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित।

शिकायतकर्ता एवं उनके अन्य सहयोगी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनवाई में उपस्थित हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिस दुकान को निलंबित किया गया था, उस दुकान के संचालक ने अनाज वापस नहीं लौटाया, इसलिये उनलोगों को अनाज प्राप्त नहीं हो पाया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि डीलर ने अब अनाज लौटा दिया है अतः 07 दिनों के अन्दर लाभुकों को बकाया राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि 07 दिनों के अन्दर सभी लाभुकों को बकाया राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में आयोग के समक्ष पेश करें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–29.11.2023 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–29.11.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
29-11-2023	**वाद सं0–62 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती पुष्पा उरांव एवं अन्य, मुन्दो आजिविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम–मुन्दो, पो0–इरगांव, प्र0+थाना–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित। शिकायतकर्ता एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी दोनों आयोग में उपस्थित हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा का कहना है कि आयोग के पिछले आदेश के बाद शेष बचा अनाज अब लाभुकों को वितरित कर दिया गया है। उस संदर्भ का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी आयोग में पेश कर रहे हैं। लेकिन आयोग में उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें वर्तमान माह का राशन दिया जा रहा है जबकि बकाया राशन उन्हें नहीं दिया गया है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो शिकायतकर्ता के मूल आवेदन में जिन माह में राशन नहीं दिये जाने का उल्लेख है उन माह में सभी शिकायतकर्ता को राशन उपलब्ध करा दिया गया है इस आशय का प्रमाण आयोग को समर्पित करें। आयोग सभी शिकायतकर्ताओं को ये निदेश देता है कि सभी शिकायतकर्ता अपने–अपने राशन कार्ड के साथ आपसी सहमति से निर्धारित दिनांक–06.12.2023 की तिथि को दिन के 12:00 बजे जिला आपूर्ति कार्यालय जायेंगे और जिला आपूर्ति पदाधिकारी उनके राशन कार्ड को देख कर ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्हें किन माह का राशन नहीं मिला है। यदि मूल शिकायतपत्र में जिस अवधि का राशन नहीं दिये जाने की बात कही गई है उन अवधि का राशन यदि सभी शिकायतकर्ता को उपलब्ध करा दिया गया है तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी उस आशय का प्रमाण आयोग में पेश करेंगे और यदि अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास उपलब्ध नहीं होगा तो वो सभी शिकायतकर्ता को जिस अवधि का राशन नहीं उपलब्ध कराया गया है उस अवधि का राशन उपलब्ध करायेंगे। सभी शिकायतकर्ता ने यदि आयोग के आज के आदेश का अनुपालन नहीं किया और राशन कार्ड लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय नहीं पहुँचे तो आयोग ये मानेगा की शिकायतकर्ता को उस अवधि का राशन मिल चुका है। तदोपरान्त आयोग न्यायोचित निष्कर्ष पर पहुँचने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–15.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.12.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–62 / 2023

15.12.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता श्रीमती पुष्पा उरांव एवं अन्य, मुन्दो आजिविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम–मुन्दो, पंचायत–भठखिजरी–इरगांव, प्रखण्ड+जिला–लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग ने अपने पिछले आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया था कि "आयोग सभी शिकायतकर्ताओं को ये निदेश देता है कि सभी शिकायतकर्ता अपने–अपने राशन कार्ड के साथ आपसी सहमति से निर्धारित दिनांक–06.12.2023 की तिथि को दिन के 12:00 बजे जिला आपूर्ति कार्यालय जायेंगे और जिला आपूर्ति पदाधिकारी उनके राशन कार्ड को देख कर ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्हें किन माह का राशन नहीं मिला है। यदि मूल शिकायतपत्र में जिस अवधि का राशन नहीं दिये जाने की बात कही गई है उन अवधि का राशन यदि सभी शिकायतकर्ता को उपलब्ध करा दिया गया है तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी उस आशय का प्रमाण आयोग में पेश करेंगे और यदि अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास उपलब्ध नहीं होगा तो वो सभी शिकायतकर्ता को जिस अवधि का राशन नहीं उपलब्ध कराया गया है उस अवधि का राशन उपलब्ध करायेंगे। सभी शिकायतकर्ता ने यदि आयोग के आज के आदेश का अनुपालन नहीं किया और राशन कार्ड लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय नहीं पहुँचे तो आयोग ये मानेगा की शिकायतकर्ता को उस अवधि का राशन मिल चुका है। तदोपरान्त आयोग न्यायोचित निष्कर्ष पर पहुँचने को बाध्य होगा।"

आयोग के इस आदेश के बाद आज की सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि आयोग के आदेश के आलोक में सिर्फ 06 शिकायतकर्ता अपना राशन कार्ड लेकर आए, जिन्हें राशन उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण संलग्न कर आयोग के सुनवाई में प्रस्तुत किया गया है। आयोग में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि शिकायतकर्ता ने 12 तारीख को पुनः आने के बात कहा थी, लेकिन उस दौरान भी अन्य शिकायतकर्ता अपना राशन कार्ड लेकर नहीं आए। आयोग शिकायतकर्ता को यह निर्देश देता है कि राशन कार्ड की जाँच किये बगैर अनाज उपलब्ध कराने का निर्देश आयोग नहीं दे सकता। ऐसे में आयोग शिकायतकर्ता को यह निर्देश देता है कि वे चाहें तो अगली सुनवाई में उन सभी लोगों का राशन कार्ड लेकर आयोग की सुनवाई में उपस्थित हों, जिन लोगों को राशन उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत की जा रही है। अगली सुनवाई

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	में जितने राशन कार्ड के साथ शिकायतकर्ता उपस्थित होंगे, उतने राशन कार्ड का अवलोकन कर आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देगा। आयोग के आज के आदेश का यदि शिकायतकर्ता ने अनुपालन नहीं किया, तो अगली सुनवाई में आयोग इस वाद को निष्पादित करने को बाध्य होगा। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.12.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx140	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28-12-2023	**वाद सं0–62 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से पुष्पा उरांव एवं अन्य (कुल–15), मुन्दो आजिविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम–मुन्दो, पो0–इरगांव, प्र0+थाना–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, कैरो आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ताओं की ओर से एक लिखित प्रतिवेदन भी समर्पित किया गया है। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता का समूह राशन कार्ड लेकर आयोग में उपस्थित हुए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्हें माह मार्च, सितम्बर एवं दिसम्बर 2022 का राशन नहीं मिला है। आयोग में उपलब्ध कराए गए सभी राशन कार्ड की जांच हेतु आयोग के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, श्री विनोद कुमार वर्मा को निदेशित किया गया है कि वे जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर आयोग में उपस्थित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष सभी राशन कार्ड की जांच करेंगे कि उपरोक्त तीनों माह में राशन उठाव कार्ड में अंकित है या नहीं ? यदि उपरोक्त माह की entry नहीं है तो जिन राशन कार्ड में उस माह की entry नहीं है उन राशन कार्डधारियों को जिला आपूर्ति पदाधिकारी उन माह का बकाया राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिन माह का राशन नहीं दिये जाने की बात शिकातकर्ता कर रहे हैं। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ये भी निदेश देता है कि जिन शिकायतकर्ताओं के राशन कार्ड में उपरोक्त तीन माह की entry नहीं है उन तीन माह का बकाया राशन उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में आयोग में पेश करेंगे। अगली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा स्वयं सशीर उपस्थित रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.01.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–62 / 2023

11.01.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता श्रीमती पुष्पा उरांव, मुन्दो आजिविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम–मुन्दो, पंचायत–भठखिजरी–इरगांव, प्रखण्ड–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं एवं शिकायतकर्ता भी उपस्थित हैं। आयोग ने पिछले सुनवाई में कार्यालय के कर्मी को यह निर्देश दिया था कि वे शिकायतकर्ताओं के राशन कार्ड से इस बात का मिलान करें कि उन्हें कब राशन नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें मार्च, 2022, सितंबर, 2022 एवं दिसंबर, 2022 में राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। आयोग में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि आयोग सिर्फ उसी शिकायत पर सुनवाई कर सकता है, जो इस वाद में मूल शिकायत है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के तर्क से आयोग सहमत है। आयोग ने जब शिकायतकर्ता के मूल आवेदन का अवलोकन किया तो पाया कि शिकायतकर्ता ने अपने मूल आवेदन में अगस्त एवं सितंबर, 2023 में राशन की कटौती की बात कही है एवं ऐसे में अब मार्च 2022, सितंबर 2022 एवं दिसंबर, 2022 का उल्लेख करने को आयोग मूल शिकायत से इतर पक्ष रखने का प्रयास मानता है।

आयोग शिकायतकर्ताओं को यह सलाह एवं निर्देश देता है कि यदि उन्हें मार्च, 2022, सितंबर, 2022 एवं दिसंबर, 2022 के संदर्भ की शिकायत करनी है, तो उन्हें नये सिरे से नया आवेदन पहले जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, लोहरदगा को देना होगा एवं उन्हें यदि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ से न्याय नहीं मिलता है, तो वे आयोग के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। ऐसे में यदि माह अगस्त एवं सितंबर, 2023 का राशन सभी शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध करा दिया गया है, तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण आयोग को भेजें। आयोग ने इससे पूर्व सभी शिकायतकर्ताओं को यह निर्देश दिया था कि वे अपना राशन कार्ड लेकर चलें जाएँ एवं जिनके राशन कार्ड में अगस्त एवं सितंबर, 2023 के राशन नहीं दिये जाने की इंट्री है उन्हें राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि आयोग के निर्देश के आलोक में सिर्फ 06 लोग आए एवं जो 06 लोग आए, उनके राशन कार्ड में अगस्त एवं सितंबर, 2023 में राशन दिये जाने का प्रमाण उपलब्ध है। आयोग न्याय के हित में एक अंतिम अवसर देते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

निर्देश देता है कि वे दिनांक–17.01.2024 को पूर्वाह्न 09:00 बजे सम्बन्धित राशन डीलर के दुकान पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी अपनी उपस्थिति में सभी लाभुकों को माह अगस्त एवं सितंबर, 2023 में राशन उपलब्ध कराने का प्रमाण चेक करें एवं जिन राशन कार्डधारियों को अगस्त एवं सितंबर, 2023 का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन्हें राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस मामले की आयोग कई सुनवाई कर चुका है। अतः आयोग 17 जनवरी, 2024 का अंतिम अवसर शिकायतकर्ता को दे रहा है। जो शिकायतकर्ता उस दिन उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें नये सिरे से पुनः नया वाद जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ दर्ज कराना होगा। आज के आदेश का अनुपालन का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी दिनांक–30.01.2024 को आयोग को समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28-02-2024	**वाद सं0–62 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा का पत्रांक–70 दिनांक–29.01.2024 मौजूद है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अपने प्रतिवदेन में इस आशय का उल्लेख किया है कि किसी भी कार्डधारी द्वारा माह अगस्त एवं सितम्बर 2023 के राशन बकाया रहने की शिकायत नहीं की गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	